न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :05/2025
GCMS NO:- 2025/12

दायर दिनांकः 23.01.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

धन्नालाल आ0 फुन्दा जाति गुर्जर नि0 माण्डपुर ग्रा.प. पीपल्या तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थी

बनाम

1. गजराज आ0 हीरालाल जाति माली नि0 चीपल्टा ग्रा0प0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
2. गणेश आ0 हंसराज जाति माली नि0 चीपल्टा ग्रा0प0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
3. नेतराम आ0 हंसराज जाति माली नि0 चीपल्टा ग्रा0प0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
4. पप्पूलाल आ0 हंसराज जाति माली नि0 चीपल्टा ग्रा0प0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
5. राजेश आ0 हीरालाल जाति माली नि0 चीपल्टा ग्रा0प0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
6. राधाकिशन आ. सुरजमल जाति कुम्हार नि0 रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ।
7. नरोत्त्म आ0 सुरजमल जाति कुम्हार नि0 चीपल्टा ग्रा0प0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
8. किशन गोपाल आ0 सुरजमल जाति कुम्हार नि0 चीपल्टा ग्रा0प0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
9. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
10. राज्य सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार मीना।
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीलाल सैनी।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रासहाली प0म0 तलवास मे जमाबन्दी खाता संख्या 19 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 168/122 रकबा 1.6180 हैक्टयर स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार कृषक है व काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि का एकमात्र अर्वाचीन रास्ता खसरा नम्बर 28 किस्म गै0मु0 रास्ता चीपल्टा के माल से रासहाली जाने वाले रास्ते से फटकर दक्षिणी ओर चलकर भूमि खसरा नम्बर 29 किस्म बंजड (सिवायचक) के पश्चिमी कोने से होकर भूमि खसरा नम्बर 29/120 की पूर्वी मेड के पास होकर भूमि खसरा नम्बर 29/122 की उत्तरी दिशा की मेड के पास होकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 168/122 मे पहुंचता है। यह रास्ता सैंकडों वर्षो से चला आ रहा है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता 10 फीट चौडा है जो सकडा पडता है। खेत पर आवागमन व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने मे भारी परेशानी होती है इस कारण इस रास्ते को 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे पहुचंने का नही है।यह कि प्रार्थी ने इस संबंध मे कितनी ही मर्तबा प्रत्यार्थीगणों से निवेदन किया गया तो प्रत्यार्थीगण संख्या 9 ने प्रार्थी को श्रीमान के समक्ष 251क के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। यह कि उक्त रास्ते की भूमि के एवज मे प्रार्थी द्वारा प्रतिकर राशि भी जमा करवाने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीलाल सैनी द्वारा वकालातनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

बहस उभयपक्ष सूनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रासहाली स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 168/122 मे जाने का एकमात्र अर्वाचीन रास्ता खसरा नम्बर 28 किस्म गै0मु0 रास्ता चीपल्टा के माल से रासहाली जाने वाले रास्ते से फटकर दक्षिणी ओर चलकर भूमि खसरा नम्बर 29 किस्म बंजड (सिवायचक) के पश्चिमी कोने से होकर भूमि खसरा नम्बर 29/120 की पूर्वी मेड के पास होकर भूमि खसरा नम्बर 29/122 की उत्तरी दिशा की मेड के पास होकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 168/122 मे पहुंचता है। यह रास्ता सैंकडों वर्षो से चला आ रहा है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता 10 फीट चौडा है जो सकडा पडता है। खेत पर आवागमन व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने मे भारी परेशानी होती है इस कारण इस रास्ते को 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे पहुचंने का नही है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा

कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 168/122 पर वर्षो से दयाराम गुर्जर के कब्जे के खेत खसरा नम्बर 29 एवं रूकमा बाई गुर्जर के खेत खसरा नम्बर 169/22, 29/120 एवं खसरा नम्बर 29/122 के खेतों के बीच की मेड पर होकर रास्ते का आधा हिस्सा रूकमा बाई गुर्जर की जमीन का लेकर एवं आधा हिस्सा खसरा नम्बर 29/120 एवं खसरा नम्बर 29/122 के खातेदारी की जमीन मे होकर वर्तमान मे मौके पर वर्षो से बना हुआ है। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र की आड मे उसकी रिश्तेदार रूकमा बाई गुर्जर से मिलकर उसकी जमीन को छोडकर अब नया रास्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 29/120 एवं 29/122 मे होकर बनाना चाहता है। प्रार्थी धन्ना गुर्जर ने अपने खेत खसरा नम्बर 168/122 एवं रूकमा बाई के खेत खसरा नम्बर 169/122 के मध्य की मेड पर पिल्लर गाड कर जाली खींचकर आगे के वर्षो पुराने रास्ते को बंद कर दिया है। खसरा नम्बर 29 सिवायचक जमीन पर दयाराम गुर्जर कब्जाधारी है। उसके कब्जे की जमीन मे से रास्ता चाहा गया है इसलिए इसको भी आवश्यक पक्षकार नही बनाने से एवं खसरा नम्बर 169/122 की खातेदार रूकमा बाई गुर्जर की जमीन मे होकर भी रास्ता चाहा गया है, को भी आवश्यक पक्षकार नही बनाने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 अधिवक्ता द्वारा प्रत्यार्थीगण संख्या 9 की मौका रिपोर्ट पर आपत्ती पेश करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नम्बर 169/122, 29/120 व 29/122 की मौके पर मध्य मेर पर रास्ता दिया जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 अधिवक्ता द्वारा केवल और केवल प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि कानूनगो साहब व पटवारी साहब द्वारा मौका अनुसार रिपोर्ट तैयार कर जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिससे उक्त आपत्ती प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष कें विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 168/122 पर पहुंचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मोजूद नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे इस आशय का निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 29 जो कि दयाराम गुर्जर के कब्जे की जमीन है, को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि खसरा नम्बर 29 सिवायचक भूमि रिकॉर्ड मे दर्ज है जो दयाराम गुर्जर के खाते मे ना होकर राज्य सरकार के खाते दर्ज रिकॉर्ड है जिससे दयाराम गुर्जर को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित नही है। साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट आपत्ती प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2025 के अनुसार ग्राम रासहाली स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 168/122 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 29, 29/120 व 29/122 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौडाई	क्षेत्रफल
29	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	8 मीटर	x 4 मीटर	32 वर्गमीटर अर्थात 0.0032 हैक्टयर
29/120	किशनगोपाल वगै. (खातेदारी)	बा.3	42 मीटर	x 4 मीटर	168 वर्गमीटर अर्थात 0.0168 हैक्टयर
29/122	गजराय वगै. (खातेदारी)	बा.4	72 मीटर	x 4 मीटर	288 वर्गमीटर अर्थात 0.0288 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 488 वर्गमीटर या 0.0488 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

आंशिक नकल नक्शा ट्रेस
ग्राम - रासहाली
ग्रा.पं. - तलवास
तहसील - नैनवां
जिला - बून्दी

P-35 ... / 159

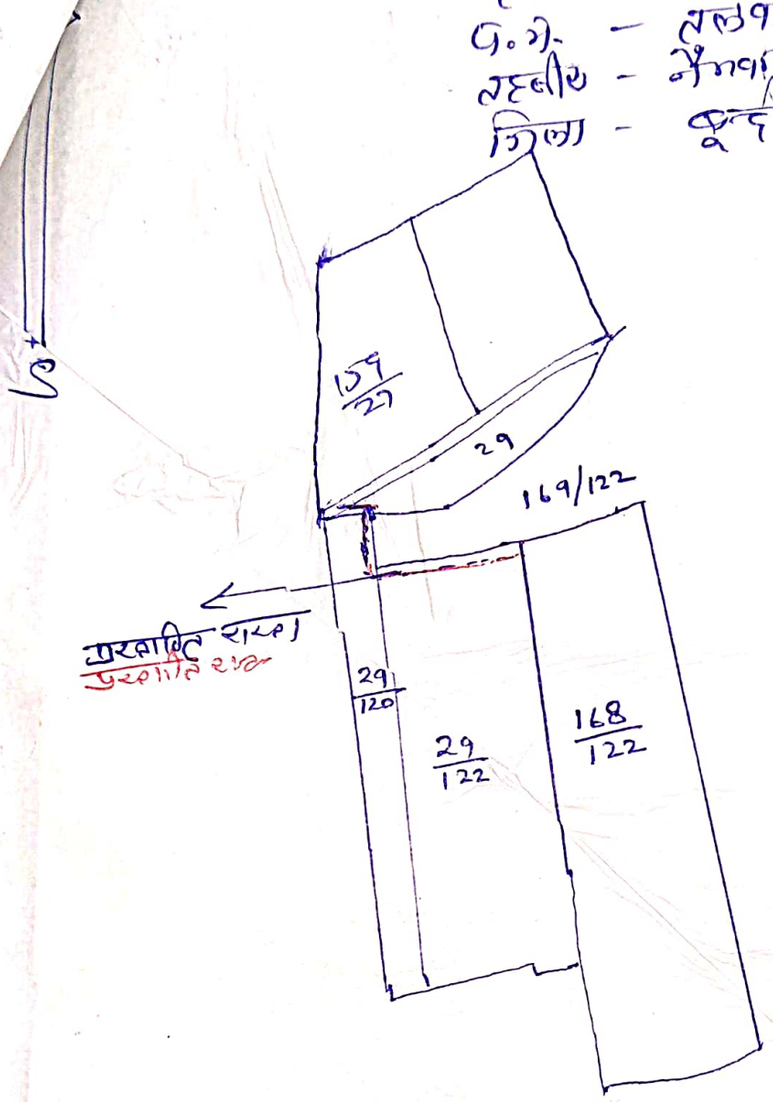

Hari
13/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)